208

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल जिला ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2013 रिवीजन R 1823-III/13

दिनांक 9-5-13 को श्री संजीव तिवारी, अभिभा. द्वारा प्रस्तुत। 9-5-13 A.S.O

दिलवाग सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह सिक्ख निवासी–मल्हागढ़ तहसील मुगांवली, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.............आवेदक

बनाम

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर (म.प्र.)

2– मृतक लक्ष्मण प्रसाद पुत्र पूरन ओझा वारिसान राधेश्याम प्रेमनारायण, कमला बाई, रामकली बाई, शान्ति बाई, पुत्र/पुत्रीयां लक्ष्मण प्रसाद निवासी मल्हागढ़ तहसील मुगांवली, जिला अशोकनगर, (म.प्र.)

.............अनावेदकगण

<u>रिवीजन अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध निर्णय दिनांक 28-02-2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला अशोक नगर प्रकरण क्रमांक 58 स्वमेव निग./2006-07 उन्वान म.प्र. शासन बनाम मृतक लक्ष्मण प्रसाद आदि</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से रिवीजन निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1– यह कि, तहसीलदार परगना मुंगावली के न्यायालयीन प्रकरण 74अ 19/82-83 में पारित आदेश दिनांक 10-06-1985 के द्वारा मृतक लक्ष्मण प्रसाद पुत्र पूरन ओझा को सर्वे क्रमांक 760 रकवा 0.523 हैक्टेयर म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 4/(3) के अंतर्गत भूमि स्वामी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—1823—तीन / 2013 जिला—अशोकनगर

दिलवाग सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 58 / स्व.निग. / 2006—07 में पारित आदेश दिनांक 28—02—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	